Computer

कैम्प कार्यालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर।

प्रशासनिक आदेश संख्या– 221 दिनांक 29 जून, 2020

आदेश

प्रशासनिक आदेश सं0 206 दिनांकित 13.06.2020 के द्वारा सिविल कोर्ट, कानपुर नगर के कंटेनमेंट जोन मे होने के कारण, कंटेनमेंट जोन मे रहने तक के लिए बन्द करने का आदेश पारित किया गया था और माननीय उच्च न्यायालय को इस आदेश से अवगत कराया गया था। आज दिनांक 28.06.2020 को डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी, जिलाधिकारी कानपुर नगर, डा0 अशोक कुमार शुक्ला, मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक (वेस्ट), कानपुर नगर व श्री डी0पी0 सिंह, अपर नगर आयुक्त, कानपुर नगर के साथ की गयी बैठक मे यह पाया गया कि दिनांक 18.06.2020, 21.06.2020 तथा 24.06.2020 को उर्सला अस्पताल कैम्पस के रिहायशी लोगों के सैम्पल लिए गए जो कोविड–19 धनात्मक पाए गए। इस स्थान से सिविल कोर्ट की दूरी 500 मीटर के अन्दर है। उपरोक्त तीन रिहायशी क्लस्टर केस की वजह से कचेहरी परिसर कंटेनमेंट जोन मे है और इसे दिनांक 08.07.2020 तक के लिए बन्द रखा जाना चाहिए। कचेहरी के कंटेनमेंट जोन मे होने के सम्बन्ध मे मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट दी गयी है और जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा उस रिपोर्ट पर अपनी सहमति व्यक्त की गयी है, अतः मैं अशोक कुमार सिंह, जिला न्यायाधीश, कानपुर नगर, न्यायाधीशगण/मजिस्ट्रेट्स, अधिवक्तागण, वादकारियों के वृहद हित को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लेता हूँ कि सिविल कोर्ट, कानपुर नगर दिनांक 08.07.2020 तक कंटेनमेंट जोन मे होने के कारण बन्द रहेगा।

सी0एम0एम0, कानपुर नगर सुनिश्चित करेंगे कि सिविल कोर्ट के बन्द रहने के दौरान प्रत्येक दिन फौजदारी मामलों मे गिरफ्तार किए गए मुल्जिमानों के रिमाण्ड व बेल का कार्य अवकाश के दिनों मे अपनायी जा रही कार्यपद्धति के अनुसार सुचारू रूप से चलता रहे। अन्तरिम आदेश, अन्तरिम जमानत, बाल अपचारी को प्रदत्त अन्तरिम बेल, बेदखली, विध्वंस के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा In Re vs. State of U.P. मे पारित आदेश दिनांक 19.06.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर व मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर से अपेक्षा की जाती है कि वह कोरोना महामारी के खतरे व कचेहरी के कंटेनमेंट जोन मे होने के सम्बन्ध मे प्रत्येक दिन अपनी रिपोर्ट मेरे कार्यालय को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे जिससे उसे माननीय उच्च न्यायालय भेजा जा सके।

(अशोक कुमार सिंह–III)
जनपद न्यायाधीश
कानपुर नगर।

जनपद न्यायाधीश
कानपुर नगर

आज पारित प्रशासनिक आदेश जिला कचेहरी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए जिससे आदेश की जानकारी अधिवक्ताओं, वादकारियों तथा अन्य लोगों को हो सके। सिविल कोर्ट, कानपुर नगर के दिनांक 08.07.2020 तक के लिए बन्द किए जाने के सम्बन्ध मे पारित आदेश से माननीय उच्च न्यायालय को अविलम्ब अवगत कराया जाए तथा इस आदेश के सम्बन्ध मे माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, कानपुर नगर को भी उनके पी0एस0 के माध्यम से अवगत कराया जाए। प्रशासनिक आदेश की एक प्रति अध्यक्ष/महामंत्री, बार एसोसिएशन व दि लायर्स एसोसिएशन, कानपुर नगर को सूचनार्थ भेजी जाए।

जनपद न्यायाधीश,
कानपुर नगर।

जनपद न्यायाधीश
कानपुर नगर